उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या – 22/2011

राज्य बनाम् ज्योति कुमार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
20-02-2019	–:: **आदेश** ::– अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का बहस सुना। विपक्षी का कहना है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्रांक–459/आ०, दिनांक–17.08.2011 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में जन वितरण प्रणाली बिक्रेता ज्योति कुमार, अनुज्ञप्ति संख्या–4/2000 द्वारा सरकारी चावल की कालाबाजारी की शिकायत के आधार पर राज्यसात की कार्रवाई की गई, जो नियम के प्रतिकुल है। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हजारीबाग में दायर जी०आर० केस नं०–2213/11/टि०आर० नं०–402/14 में अभ्युक्त को बरी किया गया है। वर्त्तमान में जन वितरण प्रणाली दुकान का संचालन विपक्षी ज्योति कुमार की ओर से की जा रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–7 के अन्तर्गत दायर राज्यसात की कार्रवाई बन्द करते हुए अनुज्ञप्ति को स्थायी रूप से विमुक्त करने हेतु अनुरोध किया है। विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का बहन सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वर्त्तमान में अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्ति संख्या–4/2000) ज्योति कुमार, ग्राम–कुन्द्रुकला पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् राज्यसात की कार्रवाई नियम संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्ति संख्या–4/2000) ज्योति कुमार, ग्राम–कुन्द्रुकला पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्यसात की कार्रवाई बन्द करते हुए अनुज्ञप्ति को स्थायी रूप से **विमुक्त** किया जाता है। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, रामगढ़ एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को आदेश की प्रति अग्रत्तेर–आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें, इसी मन्तव्य की साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 20/2/19 **उपायुक्त,** रामगढ़। 20/2/19 **उपायुक्त,** रामगढ़।	